उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा-3–135/दस-2009-308-97

लखनऊ, दिनांक 10 फरवरी, 2009

कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धि-पत्र

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व तथा दिनांक 1 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त /मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3–1515/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3–1508/दस–2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

(1) उक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापों के प्रस्तर-2 की आठवीं पंक्ति में उल्लिखित "उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों" के स्थान पर "उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं राज्य के न्यायिक तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों" पढ़ा जाए।

(2) कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3–1508/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-3 (2) में उल्लिखित "पुनरीक्षित वेतनमान" के स्थान पर "पूर्व वेतनमान के पुनर्स्थापित पे बैण्ड तथा लागू ग्रेड पे के योग से है" तथा प्रस्तर-4 पेंशन की द्वितीय पंक्ति में उल्लिखित "पे ग्रेड" के स्थान पर "ग्रेड पे" पढ़ा जाए।

(3) कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3–1508/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-8 अवशेष भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को उनके ग्रेच्युटी, पेंशन के राशिकरण एवं अवकाश नकदीकरण की धनराशि का भुगतान एक मुश्त नकद किया जायेगा तथा पेंशन के एरियर का 20 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008-09, 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009-10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010-11 में नकद किया जायेगा।

(4) उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3–1508/दस-2008-308-97, एवं संख्या सा-3–1515/दस-2008-308-97, दिनांक 08 अगस्त, 2008 की संबंधित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित समझी जाए।

आज्ञा से,

अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

(2) समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०।

(3) समस्त जिला अधिकारी, उ०प्र०।

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ) (कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच प्रतियाँ)

संख्या–सा–3–135(1)/दस–2008, तद्दिनाँक

1–सचिवालय के समस्त अनुभाग।	प्रत्येक को एक प्रति
2–सचिव, विधान सभा, परिषद, विधान भवन, लखनऊ।	5 प्रतियाँ
3–निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर लखनऊ।	5 प्रतियाँ
4–निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।	5 प्रतियाँ
5–सूचना निदेशक, उ० प्र० लखनऊ को प्रचारार्थ ।	5 प्रतियाँ
6–मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।	5 प्रतियाँ
7–मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उ० प्र०, इलाहाबाद।	5 प्रतियाँ
8–वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ० प्र०, कानपुर।	5 प्रतियाँ
9–उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ० प्र०, लखनऊ।	5 प्रतियाँ
10–इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।	5 प्रतियाँ
11–मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग लोक निर्माण विभाग, बिक्री कर विभाग,	5 प्रतियाँ

खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय,
कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ।

नागरिक उड्यन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ० प्र०, लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ० प्र०, महानिरीक्षक, होमगार्ड्स, उ० प्र० प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ, महानिदेशक, स्वास्थ्य, उ० प्र०, लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झाँसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र मित्रा,
अनु सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 136 सा० वित्त–11-02-2009–(2043)–5,000 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।